A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 76 / 2021

सुनील कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम बडबर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955, अपील विरूद्ध आदेश दिनाक 28.07.2021 जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

उपस्थितः–

1. श्री संदीप कुमार पूनियां, अभिभाषक– अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती कमल कुमार मीणा, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट (उचित मूल्य दुकानदार) का प्राधिकार पत्र 200 / 2017 एवं पोस कोड संख्या 11404 को निरस्त कर दिया गया है। अपीलान्ट निर्दोष व्यक्ति है जिसको झुंठा फंसाया जाकर अभियोजित किया जा रहा है। अपीलांट के विरूद्ध उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता अंकित कुमार ने अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत की है। क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दूसरे लोगो के बहकावे में आकर शिकायत की गई है और न ही कोई सद्भावी व्यक्ति है। वह तो स्वयं अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायत झूठे व काल्पिनिक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 आलौच्याधीन आदेश है। चूंकि जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच किये जाने का कोई आधार नही था। वह तो मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत पर शिकायतकर्ता के साथ प्रकरण बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से ही जांच प्रवतन अधिकारी द्वारा करवाई गई है। जबकि मौके पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नही थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का कृत्य अवैध है और उक्त आदेश आलौच्याधीन आदेश है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राधिकार पत्र का निलम्बन (सुनिल कुमार पोस कोड सं. 11404) गलत है। इस प्रकार जब निलम्बन ही निष्प्रभावी है तो लाईसेंस का निरस्तीकरण किया जाना स्वतः ही अवैध हो गया, नियम विरूद्ध हो गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आदेश मनमाना आदेश है। अपीलान्ट के विरूद्ध जो साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये है वे सभी कुटरचित व बनावटी है। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्त का प्रमाणीकरण नही है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही दूषित कार्यवाही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट किया है। दिनाक

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A-4/2

29.06.2021 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दूकान पर गये जो कि खुली पाई गई और अपीलान्ट वही मिला एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार सही पाया गया। मौके पर शिकायतकर्ता अंकित कुमार भी उपस्थित आये शिकायत की जांच करवाई जिसमें पोस मशीन के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन सही पाया गया। उक्त शिकायत कर्ता द्वारा रंजिसवश शिकायत की गई। दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बन कर दिया गया एवं दिनांक 30.06.2021 को ही प्रार्थी को कारण बताओं नोटिस दिया गया। अतः प्रार्थी को कोई भी सुनवाई का मौका दिये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है जो कि अवैध एवं मनमाना है व नियम विरूद्ध है एवं प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 30.06.2021 निलम्बन का पारित कर दिया गया। जो कि अपने आप में रेस्पोडेन्ट का कृत्य मनमाना एवं दंभी कृत्य स्पष्ट होता है एवं उक्त निलम्बन आदेश को उचित ठहराने के लिए रेस्पोडेन्ट ने आदेश दिनांक 28.07.2021 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 200/2017 एवं पोस कोर्ड संख्या 11404 को निरस्त कर दिया गया। जो कि मनमाना, अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। दिनांक 29.06.2021 को मौके पर जांच की गई उक्त जांच भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के बिना ही जांच की गई एवं उक्त साक्ष्यो के बिना रिकोर्ड पर लिए जांच की गई है एवं प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये हुए की गई है जो कि अनुचित एवं अवैध है। उक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल काल्पनिक रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाकर एक ही दिन में जांच कर दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया जो कि गलत व निरस्त होने योग्य है। जो काल्पिनिक रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि रिपोर्टकर्ता की सांजिस से मिलकर तैयार की गई है। अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनको बिना कनसिडर किये हुए उक्त जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन सही पाया गया एवं प्रार्थी को 2017 में राशन डीलर नियुक्त किया गया। पूर्व से चले आ रहे राशन कार्ड पर ही प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं राशन कार्ड बनाने का कार्य विकास अधिकारी समिति का होता है। प्रार्थी द्वारा ना कोई यूनिट राशन कार्ड में बढाई गई क्योकि उक्त कार्य सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी का होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त यूनिट के अनुसार ही राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी सुने व पढे ही अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करने का मन बना लिया और दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि विधि विरूद्ध आदेश है उक्त रेस्पोडेन्ट का आदेश गलत व आधारहीन होने से न्याय संगत नही है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद, परिवादी श्री अंकित कुमार द्वारा की गई शिकायत की जांच दो राशन डीलर सुनिल कुमार एवं अंकित कुमार की एक ही जांच की गई है जो कि अवैध व मनमाना है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.06.2021 का जबाब भी प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.07.2021 को निरस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित एवं अवैध है। यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पूर्व के कारण बताओ नोटिस का जबाब दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक 22.07.2021 को एक अन्य संशोधित कारण बताओ नोटिस दिया जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.07.2021 को निरस्त कर दिया गया। जो कि प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये (अन फेयर ट्रेड प्रेटिक्स की श्रेणी में आता है।) प्रार्थी अपीलान्ट का आलौच्याधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, उक्त प्रकरण के समान प्रकृति के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा अपील सं0 61/2021 अवान कंवर सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को दिनांक 13.09.2021 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी अपीलान्ट का आदेश समान प्रकृति का होने के कारण उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.07.2021 भी निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया किअपीलान्ट निर्दोष व्यक्ति है जिसको झुंठा फंसाया जाकर अभियोजित किया जा रहा है। अपीलांट के विरूद्ध उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता अंकित कुमार ने अपीलान्ट के विरूद्ध

A-4/3

द्वारा शिकायत की है। क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दूसरे लोगों के बहकावे में आकर शिकायत की गई है और न ही कोई सद्‌भावी व्यक्ति है। वह तो स्वयं अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायत झूठे व काल्पिनिक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन है। मौके पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नही थी। अपीलान्ट के विरूद्ध जो साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये है वे सभी कुटरचित व बनावटी है। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्त का प्रमाणीकरण नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट किया है। दिनाक 29.06.2021 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दूकान पर गये जो कि खुली पाई गई और अपीलान्ट वही मिला एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार सही पाया गया। मौके पर शिकायतकर्ता अंकित कुमार भी उपस्थित आये शिकायत की जांच करवाई जिसमें पोस मशीन के अनुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन सही पाया गया। प्रार्थी को कोई भी सुनवाई का मौका दिये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है जो कि अवैध एवं मनमाना है व नियम विरूद्ध है एवं प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 30.06.2021 निलम्बन का पारित कर दिया गया। जो कि अपने आप में रेस्पोडेन्ट का कृत्य मनमाना एवं दंभी कृत्य स्पष्ट होता है। अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनको बिना कनसिडर किये हुए उक्त जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन सही पाया गया एवं प्रार्थी को 2017 में राशन डीलर नियुक्त किया गया। पूर्व से चले आ रहे राशन कार्ड पर ही प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं राशन कार्ड बनाने का कार्य विकास अधिकारी समिति का होता है। प्रार्थी द्वारा ना कोई यूनिट राशन कार्ड में बढाई गई क्योकि उक्त कार्य सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी का होता है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.06.2021 का जबाब भी प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। फिर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.07.2021 को निरस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित एवं अवैध है। यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पूर्व के कारण बताओ नोटिस का जबाब दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक 22.07.2021 को एक अन्य संशोधित कारण बताओ नोटिस दिया जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.07.2021 को निरस्त कर दिया गया। जो कि प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये (अन फेयर ट्रेड प्रेटिक्स की श्रेणी में आता है।) प्रार्थी अपीलान्ट का आलौच्याधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, उक्त प्रकरण के समान प्रकृति के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा अपील सं0 61/2021 अवान कंवर सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को दिनांक 13.09.2021 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी अपीलान्ट का आदेश समान प्रकृति का होने के कारण उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.07.2021 भी निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री के गबन व दुरूप्योग की गंभीर अनियमितता पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा फर्जी यूनिट बढाने/घटाने, एक से अधिक राशनकार्ड बनाने, फर्जी आधार सीडिंग करवाने मे अपीलान्ट की अहम भूमिका रही है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2021 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 200/17 निरस्त किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार से है :–

1. अपीलान्ट तथा अमित कुमार उचित मुल्य दुकानदार ग्राम बड़बर द्वारा उनको आंवटित स्थान से अलग दुसरे अनाधिकृत स्थान पर राशन वितरण का कार्य किया जा रहा था, जो उनको आंवटित

जिला कलक्टर

A-4/4

प्राधिकार पत्र के विपरित है। अपीलान्ट द्वारा नियमों के विरूद्ध एक अनाधिकृत स्थान पर राशन वितरण कार्य किया है।

2. अपीलान्ट द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के आधार की राशन कार्ड से साथ फर्जी सिडींग करवाकर राशन का गबन किया गया है, जो रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 से साफ है। अपीलान्ट द्वारा फर्जी रूप से सिडींग कर राशन का गबन किया है। इसके साथ – साथ अपीलान्ट तथा उक्त अमित कुमार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ईमित्र का संचालन कर राशन कार्डो में युनिट को बढाने तथा घटाने का गंभीर कृत्य किया है। जिसकी बाबत अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना बुहाना में एफ.आई.आर. संख्या 0224 दिनांक 15.07.2021 को दर्ज करवाई गई है।

3. अपीलान्ट ने फर्जी दस्तावेज तैयार करना, राशन युनिटो को घटाना–बढ़ाना, आवंटित स्थल से अलग अनाधिकृत स्थल पर राशन वितरण का कार्य करने जैसी गंभीर अनियमितताऐं बरती है तथा नियमों के विरूद्ध जाकर कार्य किया है। प्रकरण गंभीर प्रवृति का है, जिसमें अदालत मातहत द्वारा विस्तृत जांच के बाद आदेश पारित किया है। हम अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू